

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1824]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 20, 2016/आषाढ़ 29, 1938

No. 1824]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 20, 2016/ASADHA 29, 1938

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जुलाई, 2016

का.आ. 2476(अ).—केंद्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 2016 (2016 का 28) की धारा 187 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) तारीख 19 मई, 2016 में प्रकाशित अधिसूचना सं. का.आ. 1830(अ) तारीख 19 मई, 2016, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना में संशोधन करती है।

2. उक्त अधिसूचना में, खंड (ii) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :--

“(ii) उस तारीख को या पूर्व, जिसे धारा 184 के अधीन कर और अधिभार संदेय है और अप्रकटित आय की बाबत धारा 185 के अधीन शास्ति संदेय है, निम्नानुसार होगी, अर्थात् :--

(क) ऐसे कर, अधिभार और शास्ति के पच्चीस प्रतिशत से अन्यून रकम के लिए, 30 नवंबर, 2016 ;

(ख) खंड (क) के अधीन संदत्त रकम द्वारा यथा कम किए गए ऐसे कर, अधिभार और शास्ति के पचास प्रतिशत से अन्यून रकम के लिए 31 मार्च, 2017 ;

(ग) खंड (क) और खंड (ख) के अधीन संदत्त रकमों द्वारा यथा कम किए गए धारा 184 और धारा 185 के अधीन संदेय संपूर्ण रकम के लिए, 30 सितंबर, 2017 ;”।

[अधिसूचना 59/2016/ फा.सं. 142/8/2016-टीपीएल]

डा. टी.एस. मापवाल, अवर सचिव

टिप्पण : मूल नियम अधिसूचना सं. का.आ. 1830(अ) तारीख 19 मई, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF FINANCE**(Department Of Revenue)****NOTIFICATION**New Delhi, the 20th July, 2016

S.O. 2476(E).— In exercise of the powers conferred by section 187 of the Finance Act, 2016 (28 of 2016), the Central Government hereby amends the notification of the Ministry of Finance (Department of Revenue), notification number S.O.1830(E) dated the 19th May, 2016, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-3, Sub-section (ii) dated the 19th May, 2016.

2. In the said notification, for clause (ii), the following clause shall be substituted, namely:-

“(ii) the date on or before which the tax and surcharge is payable under section 184, and the penalty is payable under section 185 in respect of undisclosed income shall be as follows, namely:-

- (a) the 30th day of November, 2016, for an amount not less than twenty-five per cent. of such tax, surcharge and penalty;
- (b) the 31st day of March, 2017, for an amount not less than fifty per cent. of such tax, surcharge and penalty as reduced by the amount paid under clause (a);
- (c) the 30th day of September, 2017, for the whole amount payable under section 184 and 185 as reduced by the amounts paid under clause (a) and (b);”.

[Notification No.59/2016/ F.No.142/8/2016-TPL]

Dr. T.S. MAPWAL, Under Secy.

Note:- The principal notification was published *vide* notification number S.O. 1830(E), dated the 19th May, 2016.

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 20 जुलाई, 2016

का.आ. 2477(अ).— केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, वित्त अधिनियम, 2016 (2016 का 28) की धारा 199 की उपधारा (1) और उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय घोषणा स्कीम, 2016 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) और संशोधन के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय घोषणा स्कीम (संशोधन) नियम, 2016 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. मूल नियमों में, प्ररूप-1 में, क्रम संख्यांक 1 और 2 और उससे संबंधित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां रखी जाएगी, अर्थात् :-

“1. घोषणाकर्ता का नाम और पता

(क) नाम

(ख) पता : कार्यालय

.....

ई-मेल टेलीफोन नं.

निवास
.....

मोबाइल नं..... टेलीफोन नं.

2. फाइल करने की प्रास्थिति

(क) क्या घोषणा ☐ मूल है ☐ या पुनरीक्षित

(ख) यदि पुनरीक्षित है -

	/ /
--	-----

(i) प्रविष्टि प्राप्त सं. और मूल प्ररूप-1 (दिन/माह/वर्ष)

फाइल करने की तारीख

(ii) पुनरीक्षित घोषणा के लिए कारण

(100 शब्दों से अधिक नहीं) ”

[अधिसूचना 60/2016/ फा.सं. 142/8/2016-टीपीएल]

डा. टी.एस. मापवाल, अवर सचिव

टिप्पण : मूल नियम अधिसूचना सं. का.आ. 1831(अ) तारीख 19 मई, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे ।

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th July, 2016

S.O. 2477(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and sub-section (2) of section 199 of the Finance Act, 2016 (28 of 2016), the Central Board of Direct Taxes, makes the following rules further to amend the Income Declaration Scheme Rules, 2016 (hereinafter referred to as the principal rules) namely:-

1. (1) These rules may be called the Income Declaration Scheme, (Amendment) Rules, 2016.

(2) These rules shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette. 2. In the principal rules, in Form-1, for serial numbers 1 and 2 and entries relating thereto the following serial numbers and entries shall be substituted, namely:-

“1. Name and address of the declarant

(a) Name

(b) Address: Office.....
.....

E-mail.....Telephone No.....

Residence.....
.....

Mobile No.Telephone No.....

2. Filing status

(a) Whether the declaration ☐ is original ☐ or revised

(b) If revised-

(i) Enter receipt No. and Date of filing original Form-1
(DD/MM/YYYY)

	/ /
--	-----

(ii) Reasons for revised declaration
(not exceeding 100 words)".

.....

[Notification No.60/2016/ F.No.142/8/2016-TPL]

Dr. T.S. MAPWAL, Under Secy.

Note:- The principal rules were published *vide* notification number S.O.1831(E), dated the 19th May, 2016.